न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
उपस्थितः श्री अशोक कुमार दुबे–प्रथम (एच०जे०एस०),
जे०ओ०कोड०–UP 6081
1–सत्र परीक्षण संख्याः–297/2012(लीडिंग पत्रावली)
कम्प्यूटर पंजीयन सं०–600297/2012
CNR NO.–UPLP–0100–2512–2012

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1–मन्नी उर्फ मनीराम उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र हरद्वारी,
2–उमेश लोध उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र मुल्लू,
3–अच्छेलाल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र बांकेलाल बढई,
निवासीगण गुदरिया, थाना–धौरहरा, जिला–लखीमपुर खीरी,
4–फारूख पुत्र लल्लन निवासी
निवासी खखहिया, थाना–धौरहरा, जिला–लखीमपुर खीरी,

..................**अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध सं०–1011/2011,
धारा–307/34, 379, 411 भा०द०सं०,
थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

2– सत्र परीक्षण संख्याः–298/2012
कम्प्यूटर पंजीयन सं०–100298/2012
CNR NO.–UPLP–0100–2513–2012

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

मन्नी उर्फ मनीराम उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र हरद्वारी, निवासी गुदरिया, थाना–धौरहरा, जिला–लखीमपुर खीरी,

..................**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध सं०–1011/2011,
धारा–3/25 आयुध अधिनियम,
थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

3– सत्र परीक्षण संख्याः–299/2012
कम्प्यूटर पंजीयन सं०–600299/2012
CNR NO.–UPLP–0100–1969–2011

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

<u>बनाम</u>

उमेश लोध उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र मुल्लू , निवासी गुदरिया, थाना–धौरहरा, जिला–लखीमपुर खीरी,
..................**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध सं०–1012/2011,
धारा–3/25 आयुध अधिनियम,
थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

4– सत्र परीक्षण संख्याः–300/2012
कम्प्यूटर पंजीयन सं०–600300/2012
CNR NO.–UPLP–0100–2514–2012

उ०प्र० राज्य ....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

अच्छेलाल उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र बांकेलाल बढई, निवासी गुदरिया, थाना–धौरहरा, जिला–लखीमपुर खीरी,
..................**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध सं०–1013/2011,
धारा–4/25 आयुध अधिनियम,
थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

अभियोजन की ओर से–श्री राजेश कुमार सिंह,

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता–श्री अतुल कुमार गुप्ता एवं शफीक अहमद,

घटना की तिथि–14.08.2011, समय 18.50 बजे,

प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत दिनांक–14.08.2011, समय 21:1 बजे,

संज्ञान लिये जाने की तिथि–29.09.2011,

सत्र सुपुर्द की तिथि–06.04.2012,

आरोप विरचित किये जाने की तिथि–15.11.2025

अभियोजन साक्ष्य की तिथि–दिनांक 12.02.2026 से 07.05.2026 तक,

साक्षीगण के नाम– **पी०डब्लू०–1 उ०नि०नरेश कुमार सिंह,**
पी०डब्लू०–2 महेश पाल सिंह,
पी०डब्लू०–3 रामभरोसे

बयान अभियुक्तगण अंकित किये जाने की तिथि–18.05.2026,

बहस की तिथि–23.05.2026

निर्णय की तिथि–04.06.2026

"**<u>निर्णय</u>**"

1– सत्र परीक्षण सं०–297/2012 में अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–1010/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, अन्तर्गत धारा–307/34, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता में, सत्र परीक्षण सं०–298/2012 में अभियुक्त **मनी उर्फ मनीराम** का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–1011/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में, सत्र परीक्षण सं०–299/2012 में अभियुक्त **उमेश लोध** का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–1012/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में तथा सत्र परीक्षण सं०–300/2012 में अभियुक्त **अच्छेलाल** का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–1013/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम में, न्यायालय द्वारा किया गया। कालान्तर में पत्रावली इस न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय लखीमपुर खीरी के आदेशानुसार स्थातान्तरण से प्राप्त हुयी एवं तदनुसार अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण किया गया।

<u>घटना का विवरणः–</u>

2– संक्षेप में सत्र परीक्षण संख्या–297/2012, (राज्य बनाम मनी उर्फ मनीराम आदि) के तथ्य इस प्रकार हैं कि **वादी उ०नि० दिवाकर तिवारी , थाना–ईसानर, जिला लखीमपुर खीरी** ने दिनांक 14.08.2011 को थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, पर फर्द बरामदगी/लिखित तहरीर (**प्रदर्श क–1**) इस आशय की प्रस्तुत की थी किः–

3– **"आज दिनांक *14.08.2011* को मैं उ०नि०दिवाकर तिवारी मय *CP 117* नरेश सिंह व *CP 455* दयाशंकर मिश्रा, *CP 24* रामवृक्ष के बहवाले रपट नं० *–21* समय *15:20* बजे थाना हाजा से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी में मामूर था। जब हम लोग रेहुआ पुल के पास पहुंचे तो जरिये मुखबिर खास की सूचना मिली कि एक पिकप वैन विना नम्बर की रेहुआ तिराहे की तरफ से खमरिया की तरफ आ रही है, उसमें दो राशि भैंसा चोरी के लदे हैं, उसमें बैठे लोगों के पास नाजायज असलहे भी हैं, यदि आप चाहे तो माल मुल्जिम बरामद हो सकते हैं कि इस सूचना पर विश्वास करके मैं उ०नि०मय हमराही कर्मचारीगण को मकसद बताकर रेहुआ पुल पर खडे हो गये, कुछ समय बाद रेहुआ तिराहे की तरफ से एक पिकप बैन आती हुयी दिखायी दी, पुल के पास आने पर रूकने का इशारा किया गया तो पिक बैन में खिडकी की तरफ बैठे एक व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को जान से मार डालने की नियत से तमंचा से फायर किया। हिकमत अमली से अपने को बचाते हुये सभी कर्मचारीगण अपनी अपनी राइफलें तान ली तथा पुल के ऊपर गाडी पहुंचते गाडी को घेरकर खडी करा लिया गया। पिकप बैन में पीछे दो राशि भैंसा बंधे हैं, वैन में खिडकी के किनारे बैठे हुये व्यक्ति को बैन से नीचे उतारा गया, नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम <u>मन्नी उर्फ मनीराम भार्गव पुत्र हरद्वारी नि०गुदरिया थाना धौरहरा, जिला–खीरी</u> बताया, जामातलाशी से उसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा से इसके <u>दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा *315* बोर</u> बरामद हुआ। जिसकी नाल खोल कर देखा गया तो नाल में <u>एक अदद खोखा कारतूस *315* बोर</u> जिसमें ताजा बारूद की सुगंध आ रही है। हुलिया तमंचा *315* बोर नाल लोहा लम्बाई *7* अंगुल बाडी लम्बाई *5* अंगुल, मुठिया लोहा जिसके दोनों तरफ लकडी की चाप लगी है। दो स्क्रू से जडी है, मुठिया में पीछे गोला घुण्डी लोहे की है। नाल खोलने बन्द करने के लिये ट्रैक्गर व ड्रेगर व हैमर लगा हुआ चालू हालत में बरामद हुआ। नाल के आखिरी में गोल मक्खी बनी है। पहने हुये पैंट के <u>दाहिनी जेब से एक अदद कारतूस *315* बोर</u> बरामद हुआ। <u>दूसरे व्यक्ति</u> को नीचे उतार कर नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम <u>उमेश लोध पुत्र मुल्लू लोध निवासी गुदरिया, थाना–धौरहरा</u>, बताया, जामातलाशी से इसके पहने पैण्ट की दाहिनी फेंट में खुसा हुआ <u>एक अदद तमंचा *12* बोर नाजायज</u> बरामद हुआ, जिसकी नाल लोहा लम्बाई एक बालिस्त *6* अंगुल बाडी लोहा लम्बाई *7* अंगुल मुठिया लोहा, जिसकी दोनों तरफ लकडी की चाप लगी, जो तीन कीलों से जडी है। नाल खोलने बंद करने के लिये बाडी में यू आकार की लोहे की पत्ती लगी है, ट्रैगर हैमर लगा हुआ चालू हालत में बरामद हुआ। पहने हुये पैन्ट की दाहिनी पाकेट से <u>दो अदद कारतूस *12* बोर</u> जिसके पेंदे पर *BB* लिखा हुआ है। बरंग खाकी जिस पर *SPECIAL 65 MM 30 gram AMMUNITION FACTORY KHAD KI* अंकित है। <u>तीसरे व्यक्ति</u> ने अपना नाम <u>अच्छेलाल पुत्र बांके लाल बढई नि०गुदरिया, थाना–धौरहरा, जिला खीरी</u> बताया। जामातलाशी से पहने पैंट के बाई फेंट में खुसा हुआ, एक <u>अदद चाकू</u> जिसका नाल लोहे का धारदार लम्बाई *11* अंगुल मुठिया लोहे का तथा मुठिया में लोहे की एक पिन टाइप लगी हुयी, मुठिया की लम्बाई करीब एक बालिस्त की बरामद हुयी। <u>चौथे व्यक्ति</u> ने अपना नाम <u>फारूख पुत्र लल्ले नि० खखइया थाना–धौरहरा, जिला–खीरी</u> बताया, जो कि पिकप वैन चला रहा था। पिकप वैन बिना नम्बर की है, जिसका इंजन नं० *GVV634078* चेचिस नं० *–MAT4780123 B–9–G 21179* है। पिकप पर लदे दोनों भैसों के बारे में पूंछने पर**

बताये कि साहब यह चोरी की हैं। इसे हमने सुकईपुर मजरा लौकिहा थाना –फूलबेहड से चुराया है, इसे तम्बौर लेकर जा रहे थे, बेचने के लिये साहब मुझसे गलती हो गयी। मैंने फायर कर दिया कि आप लोग डरकर हट जायेंगे। तो मेरी गाडी निकल जायेगी। नाजायज तमंचों व चाकू रखने के लिये लाइसेंस तबल किया गया तो नहीं दिखा सके और माफी मांगने लगे। जुर्म धारा –*41/411,307 ipc* व *3/25 Arms Act* तथा *4/25* आयुध अधिनियम के दण्डनीय अपराधों से अवगत कराते हुये समय करीब *18.50* पर बरामद उपरोक्त असलहा मय कारतूस, पिक वैन, हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद तमंचा कारतूस, चाकू को अलग–अलग कपडों में रखकर सिलकर सील सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर फर्द टार्चों की रोशनी में लिखकर तथा मौके पर मेमो गिरफ्तारी तैयार किया गया। पिकप चालक से ड्राइविंग लाइसेंस व गाडी के कागड तलब किया गया तो कोई कागज नहीं दिखा सका, इस संबंध में अलग से धारा –*207 MV ACT* की चालानी रिपोर्ट दी जा रही है। दौरान गिरफ्तारी सडक पर आने जाने वालों की तमाम भीड लग गयी, जिनसे गवाही के लिये कहा तो भलाई बुराई के चलते गवाहीकरने से मना कर दिये और चलते बने। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के समय मानवाधिकार आयोग व मा०सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना थाने के माध्यम से दी जायेगी।"

<u>प्रकरण की विवेचनाः–</u>

4– उपरोक्त तहरीर/फर्द के आधार पर थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पर अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–1010/2011, अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत किया गया, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट**,** जिसका खुलासा कायमी जी.डी पर उसी समय व दिनांक पर किया गया तथा मामले की विवेचना विवेचक के सुपुर्द की गयी, जिसने वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी घटना स्थल तैयार किया गया। अभियुक्तगण का फर्द मौके**(प्रदर्श क–1)** तथा गिरफ्तारी मेमो **(प्रदर्श क–2)** पर तैयार की गयी, जिसकी नकल केस डायरी में की गयी व साक्षीगण के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये तथा विवेचना सम्बन्धित औपचारिकता पूर्ण करने के उपरान्त, अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** के विरूद्ध **आरोप पत्र,** अन्तर्गत धारा–307,379,411 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– इसके अतिरिक्त सत्र परीक्षण सं० –298/2012 (राज्य बनाम मनी उर्फ मनीराम), मु०अ०सं०–1011/2011 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.08.2011 समय करीब 18.50 बजे पर वादी मुकदमा उ०नि०**दिवाकर तिवारी** द्वारा बमय हमराहियान पुलिसकर्मीगण, अभियुक्त मनी उर्फ मनीराम को गिरफ्तार किया गया तो अभियुक्त मनी उर्फ मनीराम की तलाशी से जामातलाशी से उसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा *315* बोर बरामद हुआ तथा नाल में एक अदद खोखा कारतूस *315* बोर तथा पहने हुये पैंट के दाहिनी जेब से एक अदद कारतूस *315* बोर बरामद हुआ। माल मुकदमा संबंधित मु०अ०सं०–1010/2011, जिसका विवरण फर्द बरामदगी।**प्रदर्श क–1** में वर्णित है, फर्द व गिरफ्तारी मेमो, के आधार पर अभियुक्त मनी उर्फ मनीराम के विरूद्ध मु०अ०सं० –1011/2011, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पर कायम किया गया, चिक, जिसका इन्द्राज भी कायमी जी.डी. पर किया गया। मामले से संबंधित नक्शा नजरी तैयार किया गया। आयुध अधिनियम के तहत अभियोग चलाये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से अभियोग स्वीकृति **प्रदर्श क–7** की अनुमति प्रदान की गयी, आरमोरर रिपोर्ट **प्रदर्श क–6** संलग्न है तथा विवेचक द्वारा विवेचना संबंधित सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त मनी उर्फ मनीराम के विरूद्ध अं०धारा–3/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–11** न्यायालय में प्रेषित किया।

6– इसके अतिरिक्त सत्र परीक्षण सं० –299/2012 (राज्य बनाम उमेश लोध), मु०अ०सं०–1012/2011 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.08.2011 समय करीब 18.50 बजे पर वादी मुकदमा उ०नि०**दिवाकर तिवारी** द्वारा बमय हमराहियान पुलिसकर्मीगण, अभियुक्त उमेश लोध को गिरफ्तार किया गया तो अभियुक्त की तलाशी से जामातलाशी से **<u>एक अदद तमंचा *12* बोर नाजायज तथा दो</u>** अदद कारतूस *12* बोर बरामद हुआ। माल मुकदमा संबंधित मु०अ०सं०–1010/2011, जिसका विवरण फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–1** में वर्णित है, फर्द व गिरफ्तारी मेमो, के आधार पर अभियुक्त उमेश लोध के विरूद्ध मु०अ०सं० –1012/2011, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पर कायम किया गया, चिक, जिसका इन्द्राज भी कायमी जी.डी. पर किया गया। मामले से संबंधित नक्शा नजरी तैयार किया गया। आयुध अधिनियम के तहत अभियोग चलाये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से अभियोग स्वीकृति **प्रदर्श क–9** की अनुमति प्रदान की गयी, आरमोरर रिपोर्ट **प्रदर्श क–8** संलग्न है तथा विवेचक द्वारा विवेचना संबंधित सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त उमेश लोध के विरूद्ध अं०धारा –3/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–10** न्यायालय में प्रेषित किया।

7– इसके अतिरिक्त सत्र परीक्षण सं० –300/2012 (राज्य बनाम अच्छे लाल), मु०अ०सं०–1013/2011 अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14.08.2011 समय करीब 18.50 बजे पर वादी मुकदमा उ०नि०**दिवाकर तिवारी** द्वारा बमय हमराहियान पुलिसकर्मीगण, अभियुक्त अच्छे लाल को गिरफ्तार किया गया तो अभियुक्त की तलाशी से जामातलाशी से एक अदद चाकू बरामद हुआ। माल मुकदमा संबंधित मु०अ०सं०–1010/2011, जिसका विवरण फर्द बरामदगी **प्रदर्श क–1** में वर्णित है, फर्द व गिरफ्तारी मेमो, के आधार पर अभियुक्त उमेश लोध के विरूद्ध मु०अ०सं०–1013/2011, अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी पर कायम किया गया, चिक, जिसका इन्द्राज भी कायमी जी.डी. पर किया गया। मामले से संबंधित नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना संबंधित सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त उमेश लोध के विरूद्ध अं०धारा–4/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–5** न्यायालय में प्रेषित किया।

<u>प्रसंज्ञानः–</u>

8– तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नम्बर–3, लखीमपुर खीरी ने दिनांक 29.09.2011 को प्रेषित आरोप पत्रों पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को आहूत करने के पश्चात अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

<u>सत्र सुपुर्दगीः–</u>

9– तत्पश्चात तत्कालीन तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांकित 06.04.2012 को अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** के विरूद्ध धारा–307/34, 379, 411 भारतीय दंण्ड संहिता का अभियोग अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने व अभियुक्त **मनी उर्फ मनीराम** के विरूद्ध मुकदमा अ0सं0–1011/2011, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र के अभियोग, अभियुक्त **उमेश लोध** के विरूद्ध मुकदमा अ0सं0–1012/2011, अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र के अभियोग, अभियुक्त **अच्छे लाल** के विरूद्ध मुकदमा अ0सं0–1013/2011, अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र के अभियोग, जोकि मुकदमा अपराध सं0–1010/2011, अन्तर्गत धारा–307/34, 379, 411 भारतीय दंण्ड संहिता से सम्बंधित होने के कारण, उक्त चारों प्रकरणों को एक साथ सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसे क्रमशः सत्र परीक्षण सं०–297/2012 (राज्य बनाम मनी उर्फ मनीराम आदि), सत्र परीक्षण सं०–298/2012 (राज्य बनाम मनी उर्फ मनीराम), सत्र परीक्षण सं०–299/2012 (राज्य बनाम उमेश लोध) तथा सत्र परीक्षण सं०–300/2012 (राज्य बनाम अच्छेलाल), पर दर्ज किया गया।

<u>आरोप की धारायेंः–</u>

10– तत्कालीन न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने सत्र परीक्षण संख्या–297/2012 में दिनांक 15.11.2025 को **अभियुक्तगण मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–307/34, 379, 411 भारतीय दंण्ड संहिता का विरचित किया, अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

11– तत्कालीन न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने दिनांक–15.11.2025 को सत्र परीक्षण संख्या–298/2012, में अभियुक्त **मनी उर्फ मनीराम** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया तथा अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

12– तत्कालीन न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने दिनांक–15.11.2025 को सत्र परीक्षण संख्या–299/2012, में अभियुक्त **उमेश लोध** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया तथा अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

13– तत्कालीन न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी ने दिनांक–15.11.2025 को सत्र परीक्षण संख्या–300/2012, में अभियुक्त **अच्छेलाल** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया तथा अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

14– उपरोक्त चारों सत्र परीक्षण एक ही अपराध एवं घटना से सम्बन्धित होने के कारण कालान्तर में उपरोक्त चारों पत्रावलियों को माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर के आदेशानुसार एक ही न्यायालय में स्थानान्तरित होने के उपरान्त उपरोक्त मामलों के तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को निवारित किये जाने के उद्देश्य से चारों सत्र परीक्षणों में,

सत्र परीक्षण संख्या–297/2012, राज्य बनाम मनी उर्फ मनीराम आदि, को **अग्रणी पत्रावली** मानते हुये, संयुक्त रूप से साक्ष्य अभिलिखित किया है।

अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यः–

15– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्र.	प्रदर्श सं०	प्रपत्र का नाम	साबितकर्ता
1	**प्रदर्श क–1**	फर्द बरामदगी	**पी०डब्लू०–1**
2	**प्रदर्श क–2**	गिरफ्तारी मेमो	**पी०डब्लू०–1**
3	**प्रदर्श क–3**	नक्शा नजरी मु०अ०सं०–1010/2011	**पी०डब्लू०–2**
4	**प्रदर्श क–4**	आरोप पत्र (मु०अ०सं०–1010/2011)	**पी०डब्लू०–2**
5	**प्रदर्श क–5**	आरोप पत्र (मु०अ०सं०–1013/2011)	**पी०डब्लू०–2**
6	**प्रदर्श क–6**	आरमोरर रिपोर्ट (मु०अ०सं०–1011/2011)	**पी०डब्लू०–2**
7	**प्रदर्श क–7**	अभियोजन स्वीकृति मु०अ०सं०–1011/2011)	**पी०डब्लू०–2**
8	**प्रदर्श क–8**	आरमोरर रिपोर्ट (मु०अ०सं०–1012/2011)	**पी०डब्लू०–2**
9	**प्रदर्श क–9**	अभियोजन स्वीकृति मु०अ०सं०–1012/2011)	**पी०डब्लू०–2**
10	**प्रदर्श क–10**	आरोप पत्र (मु०अ०सं०–1010/2011)	**पी०डब्लू०–2**
11	**प्रदर्श क–11**	आरोप पत्र (मु०अ०सं०–1010/2011)	**पी०डब्लू०–2**
12	**प्रदर्श क–12**	तहरीर का०सं०–7	**पी०डब्लू०–3**
13	**प्रदर्श क–13**	सुपुर्दगीनामा दो अदद भैंसा	**पी०डब्लू०–3**
14	**प्रदर्श क–14**	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	**बचाव पक्ष द्वारा औपचारिकता स्वीकृत**
15	**प्रदर्श क–15**	कायमी जी०डी०	**बचाव पक्ष द्वारा औपचारिकता स्वीकृत**

अभियोजन के मौखिक साक्ष्यः–

16– अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है–

पी०डब्लू०–1 उ०नि०नरेश कुमार सिंह,

पी०डब्लू०–2 महेश पाल सिंह,

पी०डब्लू०–3 रामभरोसे

17– पी०डब्लू०–1 **उपनिरीक्षक नरेश कुमार सिंह** हाल तैनाती चौकी इंचार्ज हनुमानगढ़ी थाना रामजन्म भूमि अयोध्या जनपद अयोध्या ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर सशपथ बयान किया कि–"मैं दिनांक 14.08.2011 को थाना ईसानगर पर बतौर कॉ० तैनात था। उस दिन में उपनिरीक्षक दिवाकर तिवारी के हमराह के रूप में बहवाले रपट संख्या 21 समय 15:20 बजे थाना हाजा से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी मामूर था। थाना क्षेत्र के रेहुआ पुल के पास पहुँचने पर मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक पिकअप वैन बिना नम्बर की रेहुआ तिराहे की तरफ से खमरिया की तरफ आ रही है जिसमें दो राशि भैसा चोरी के लदे है और उसमें बैठे लोगों के पास नाजायज असलहें भी है। इस सूचना पर विश्वास कर उपनिरिक्षक दिवाकर तिवारी व मैं तथा अन्य हमराही कर्मचारियों को मकसद बताकर हम सब लोग रेहुआ पुल पर खड़े हो गये। कुछ समय बाद रेहुआ तिराहे की तरफ से एक पिकअप वैन आते हुए दिखायी दी। पुल के पास आने पर रोकने का इशारा किया तो पिकअप वैन में खिड़की की तरफ बैठे एक व्यक्ति ने हम पुलिस वालो को जान से मार डालने की नियत से तमंचे से फायर किया। हिकमतअमली से अपने को बचाते हुए सभी पुलिस कर्मियों ने अपनी अपनी राइफिले तान ली तथा पुल के ऊपर गाड़ी पहुँचते पहुँचते गाड़ी को घेरकर खड़ी करा लिया गया। पिकअप वैन में पीछे दो राशि भैसा बधे थे। वैन में खिड़की के किनारे बैठे हुए व्यक्ति को वैन से नीचे उतारा गया। नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो उस व्यकित ने अपना नाम मन्नी उर्फ मनीराम भार्गव पुत्र हरद्वारी निवासी गुदरिया थाना धौरहरा जिला खीरी बताया। जामातलाशी से उसके दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ जिसकी नाल खोल कर देखा गया तो नाल में एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर जिसमें ताजे बारूद की गंध आ रही थी बरामद हुआ था तथा पहने हुए पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति को गाड़ी से नीचे उतार कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम उमेश लोध पुत्र मुल्लू लोध निवासी गुदरिया थाना

धौरहरा बताया जिसकी जामातलाशी लेने पर पैंट की दाहिनी फेट में खुसा एक अदद तमंचा 12 बोर बरामद हुआ तथा पहने हुऐ पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अच्छे लाल पुत्र बांके लाल बढ़ई निवासी गुदरिया थाना धौरहरा बताया जिसकी जामातलाशी लेने पर पैंट की बांयी फेट में खुसा एक अदद धारदार चाकू बरामद हुआ था। चौथे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम फारुख पुत्र लल्ले निवासी खरवड्या थाना धौरहरा बताया जो पिकअप वैन चला रहा था जो बिना नम्बर की थी उसका इंजन नम्बर GYY634078 चेसिस नम्बर 478012BGG21179 था जिस पर दो भैसे लदे थे जिन्हें उसने चोरी का होना बताया था जिसे हमने सुकई पुरवा मजरा लौकिहा थाना फूलबेहड़ से चुराया था तथा तम्बौर बेचने के लिए ले जा रहा थे और गलती की माफी मांगने लगा। पकड़े गये लोगों ने बताया कि हम लोगों ने फायर इसलिए किया था कि आप लोग डर जायेगें और हमारी गाड़ी निकल जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से नाजायज असलहे व चाकू के लाइंसेस तलब किये गये तो नहीं दिखा सके, अभियुक्तगण को मौके से समय करीब 18:50 बजे गिरफ्तार कर जुर्म अं० धारा 41/411, 307 IPC & 3/25, 4/25 A.Act के दण्डनीय अपराध से अवगत कराते हुए उनसे प्राप्त असलहा, कारतूस, पिकअप वैन मय दो राशि भैसा, चाकू कब्जा पुलिस लेकर बरामद तमंचा व कारतूसों तथा चाकू को अलग अलग कपड़े में रखकर नमूना मोहर तैयार किया गया था। मौके पर ही टार्चों की रोशनी में उपनिरिक्षक दिवाकर तिवारी ने फर्द व गिरफ्तारी मैमो तैयार किया था तथा ड्राइविंग लाइंसेस व गाड़ी के कागजात तलब करने पर न दिखाये जाने पर गाडी 207 MV Act की चालानी रिपोर्ट भी तैयार की थी। मौक पर तैयार फर्द एवं गिरफ्तारी मैमो पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाकर उपनिरिक्षक दिवाकर तिवारी ने अपने हस्ताक्षर बनाये थे तथा मौके पर ही मैंने भी अपने हस्ताक्षर बनाये थे। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण मय फर्द, बरामदशुदा तमंचा, कारतूस, चाकू, पिकअप मय भैसे थाना ईसानगर पर दाखिल कर मु०अ०सं० 1010/2011 अं०धारा 307, 41/411 IPC विरुद्ध मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल व फारुख के विरुद्ध एवं मु०अ०सं० 1011/2011 अं०धारा 3/25 A.Act विरुद्ध मन्नी उर्फ मनीराम भार्गव एवं मु०अ०सं० 1012/2011 अं०धारा 3/25 A.Act विरुद्ध उमेश लोध एवं मु०अ०सं० 1013/2011 अं०धारा 4/25 A.Act विरुद्ध अच्छे लाल एवं मु०अ०सं० 1014/2011 अं०धारा 207 MV Act विरुद्ध फारुख अंकित कराया था। मौके पर तैयार की गयी **फर्द बरामदगी** व **गिरफ्तारी प्रपत्र** पत्रावली पर मेरे समक्ष जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–1** व **प्रदर्श क–2** डाला गया। उपनिरीक्षक दिवाकर तिवारी के लेख व हस्ताक्षर को मैं भली–भांति पहचान रहा हूँ। प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–2 उनके लेख व हस्ताक्षर में है। दिवाकर तिवारी की मृत्यु हो चुकी है।"

18– **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि–"हम लोगों की टीम में चार लोग थे। टीम में उ०नि०दवाकर, दयाशंकर मिश्रा, कां०नरेश सिंह व कां०रामवृक्ष शामिल थे। हम लोग सीधे थाने मौके पर गये थे। हम लोग पिकेट पर मौजूद थे। हम लोग गश्त पर गये थे। हम लोगों की थाने से रवानगी दर्ज की थी। कितने बजे दर्ज की गयी, समय याद नहीं है। हम चारों लोग अलग–अलग मोटरसाइकिल से गये ते। मेरे पास मेरी निजी मोटर थी, उसका नम्बर व माडल नंबर याद नहीं। शेष लोग कौन सी और किसकी मोटर साइकिल से थे, मुझे याद नहीं है। मुखबिर द्वारा सूचना हम लोगों को पिकेट पर मिली थी, पिकेट रहुेआ चौराहे पर थी। सूचना शाम के साढे पांच बजे मिली थी। सूचना पर हम लोग सीधे अभियुक्तगण गरफ्तारी वाली जगह पर गये थे। रेहुआ चौराहे से अभियुक्तगण को पकडे जाने वाली जगह कितनी दूर है और किस दिशा में है, याद नहीं है। मौके पर हम लोग पिकेट से आधे घण्टे में मौके पर पहुंच गये थे। हम सभी लोग अपनी–अपनी मोटरस से गये थे। मौके पर पहुंचने पर धुंधलका था। अंधेरा सा हो गया था। हम लोगों के मौके पर पहुंचने के पन्द्रह–बीस मिनट के बाद मुल्जिमान मौके पर पिकअप गाडी से पहुंचे थे। मुल्जिमान किस दिशा से आ रहे थे, याद नहीं है। मुल्जिम रेहुआ की तरफ से आ रहे थे और ग्राम सेमरिया की तरफ से आ रहे थे। मुल्जिमान को हम लोगों ने सडक किनारे खेत होकर टार्च की रोशनी से रोका था, हम लोग वर्दी में थे और गाडी की लाइट से हम लोग दिख रहे थे। गाडी की लाइट व टार्च की रोशनी के अलावा मौके पर अंधेरा हो गया था। गाडी कौन चला रहा था, मैं जान नहीं पाया था। गाडी हम लोगों के बिल्कुल बरामबर में रूकी थी। हम लोगों ने अपने हथियार तानकर मुल्जिमों से गाडी के बाहर आने को कहा था। तभी मुल्जिमों में से ड्राइवर के बांये साइड बैठे मुल्जिम गाडी में बैठे फायर कर दिया था और गाडी को भगाने का प्रयास किया, फायर किसने किया था, उस समय नहीं जान पाये थे। फायर उ०नि० दिवाकर सिंह की तरफ किया गया था। फायर उ०नि० दिवाकर के शरीर से कितनी दूर से निकला था, नहीं जान पाये थे। फायर 315 बोर की बंदूक से किया गया था। 315 बोर की बुलेट सिंगल होती है। बस वही एक फायर हुआ था। हम लोगों ने अपने बचाव में कोई फायर नहीं किया था। हम लोगों ने मुल्जिमानों को घेरकर पकड लिया था और बाहर निकाला था। चालक फारूक था। उसकी बगल में कौन बैठा था, याद नहीं है। जब मुल्जिमान पिकअपर से उतरे थे तब किसने किस मुल्जिम को कहा था, यह याद नहीं है। घटना के समय मौके पर पब्लिक का कोई आदमी मौजूद नहीं था। मुल्जिमों को जब पकडा था, तब मनीराम के हाथ में 315 बोर असलहा था, अच्छेलाल की फेंट में 12 बोर का असलहा था, फारूख के पास कोई हथियार नहीं था, मुल्जिमों से हम लोगों ने फायर करने व भागने का कारण पूंछा था। मुल्जिमों एक–एक करके असलहा मिलके बाद की तलाशी की थी। हम लोग एक दूसरे की जब पुल से चले थे, तब तलाशी ली थी। मुल्जिमानों के सामने

अपनी तलाशी नहीं ली थी। मनीराम की जेंब से एक जिन्दा कारतूस मिला था तथा अच्छेलाल की जेब से दो जिन्दा कारतूस 12 बोर मिले थे। मनीराम के असलहे से एक खोखा कारतूस फंसा हुआ मिला था। अच्छेलाल के असलहे में कारतूस नहीं लगा था। पिकअप की तलाशी सभी ने ली थी। पिकअप में दो राशि भैसें मिले थे। मुल्जिमों ने भैंसे चोरी की होने की बात बतायी थी। भैंसे कहां से चोरी हुयी थे, यह पता नहीं लगा था। जब फायर चली थी, तब फायर चलाने वाले मुल्जिम व उ०नि०साहब के बीच दूरी दो–चार हाथ की रही होगी। गोली अचानक चला दी थी। आसपास मौके पर केवल नाला था, वहां पर कोई आबादी व खेत नहीं थे। लिखा पढी दरोगा जी ने स्वंय की थी। लिखा पढी करने के बाद असलहों को सील मोहर किया था। हम लोगों ने असलहा चालू होने का कोई टेस्ट नहीं किया था। फायर होने के कारण असलहा चालू होने का अनुमान लगाया था। सब लिखा पढी में दो घण्टे का समय लगा था। मुल्जिमों को गाडी में बैठाकर दो लोग लाये थे और दो लोग दो मोटर चलाकर लाये तथा दो मोटरसाइकिल मौके पर छोड दी गयी थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल से था। बाकी कौन किसकी मोटरसाइकिल से था, याद नहीं। मुल्जिमानों की रात के साढे ग्यारह बजे थाने के लाक अपर में दाखिला किया गया था। भैसों की बरामदगी थाना फूलबेहड से संबंधित किसी केस से की गयी थी, पूरा डिटेल याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमों को मौके से गिरफ्तार न किया गया है और उनके पास से कोई बरामदगी न हुयी हो।यह कहना गलत है कि प्रशासनिक दबाव में झूठी केस बनाया गया है।"

19– पी०डब्लू०–2 **महेश पाल सिंह** साइबर क्राइम प्रभारी जौनपुर, ने सशपथ बयान किया है किः–"दिनांक 16.08.2011 को थाना ईसानगर की रिपोटिंग चौकी खमरिया में चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात था। थाने पर दर्ज मु०अ०सं० 1110/2011 धारा–41, 411 ipc, 307ipc, मु०अ०सं०–1011/2011, धारा–3/25 Arms ACt राज्य बनाम मन्नी उर्फ मनीराम, अ०सं०–1012 /2011 धारा–3/25 Amrs Act बनाम उमेश अ०सं०–1013/2011, धारा–4/25 Arms Act बनाम अच्छे लाल की विवेचना पूर्व विवेचक कन्हैयालाल यादव द्वारा की जा रही थी, उनके द्वारा पर्चा नं०–i व i(a)किता किया गया, जिनका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। मेरे द्वारा विवेचना का पर्चा नं०–ii दिनांक 16.08.2011 को किता किया गया, जिसमें वादी के बयान अंकित किये गये। बयान कां०नरेश सिंह, का० दयाशंकर मिश्र व कां०रामवृक्ष के अंकित किये गये तथा निरीक्षण घटनास्थल का **नक्शा नजरी** तैयार किया गया। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। घटनास्थल पर ही समई साक्षी सुधीर कुमार वर्मा, पंकज का बयान अंकित किया गया। दिनांक 09.09.2011 को पर्चा नं०–3 किता किया गया, जिसमें अभि०मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध के अभियोजन स्वीकृत आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु आवेदन दिया था। दि० 27.08.2011 को पर्चा नं–3 जिसमें अभि०मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, फारूख, अच्छेलाल के विरूद्ध आरोप पत्र अं०धारा–307, 379, 411 ipc व अभि० अच्छे लाल के विरूद्ध धारा–4/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र सं०–323/2011 शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इसपर प्रदर्श क–4 अंकित किया गया। **आरोप पत्र** अं०धारा–324/2011 धारा–4/25 आयुध अधिनियम शामिल पत्रावली है,जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। दि० 23.09.2011 के पर्चा नं०–5 किता किया गया। जिसमें अ०सं०–1011/2011 धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम मनीराम व अ०सं०–1012/2011 धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम उमेश लोध से बरामद देशी तमंचा के संबंध में आरमोररप्रमाण पत्र व अभियोजन स्वीकृत द्वारा जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त की गयी। आरमोरर प्रमाण पत्र अभियोजन स्वीकृत शामिल पत्रावली है, जिसे देखकर साक्षीने कहा कि यह वही है, जो मेरे द्वारा प्राप्त किये गये थे और इनकी मैं तस्दीक करता हूं। इस पर क्रमशः प्रदर्श क–6, 7, 8, 9 अंकित किये गये। तमाम साक्ष्यों के आधार पर **मन्नी उर्फ मनीराम पुत्र हरद्वारी**, **उमेश लोध** पुत्र मुल्लू लोध निदगण गोदरिया थाना–धौरहरा, जिला–खीरी के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम में **आरोप पत्र** न्यायालय में प्रेषित किया गया। **आरोप पत्र सं०–347/2011** व आरोप पत्र व **आरोप पत्र सं०–348/2011** शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–10** व **प्रदर्श क–11** अंकित किया गया।"

20– **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि–"मैंने धारा–25 में अभियोजन हेतु अनुमति के लिये प्रा०पत्र जिलाधिकारी खीरी को विवेचना ग्रहण करने के बाद दे दिया था, कब दिया था, यह याद नहीं है। अनुमति दिनांक 23.09.2011 को प्राप्त होगी गयी थी। मैंने अनुमति हेतु प्रा०पत्र साक्षियों का बयान दर्ज करने के बाद दिया था। बरामद तमंचाओं जांच के लिये विशेषज्ञ को नहीं भेजा था। अ०सं०–1010/2011 से 1013/2011 तक की विवेचना मैंने एक साथ की थी और पर्चे भी एक साथ काटे थे। मैंने वादी का रिपोर्ट दर्ज होने के तीसरे दिन यानी विवेचना ग्रहण करने वाले दिन बयान लिया था और उसी दिन नक्शा नजरी भी बनाया था। घटना स्थल के आसपास कोई आबादी नहीं थी। आबादी घटनास्थल से लगभग दो किमी०दूर होगी। आबादी मैंने नक्शे में नहीं दिखाई दी थी। घटनास्थल मुख्य सडक पर है। सडक उत्तर–दक्षिण को है। मौके का जब नक्शा बनाया था, तो मौके पर दो व्यक्तियों सुधीर व पंकज ने घटना की पुष्टि की थी। मैंने उनके भी बयान लिया था। उन लोगों ने मुझे गिरफ्तारी के बाद मौके पर आने की बात कही थी। घटनास्थल के आसपास पूरब–पश्चिम खेत थे, मौके पर फसल क्या लगी थी, ध्यान नहीं है। मैंने विवेचना ग्रहण करने व

समाप्त करने की तारीख डाली है और समय नहीं डाला है। सहवन समय नहीं डाला, भूल गया। सभी आरोप पत्र मेंरे द्वारा ही दाखिल किया गया है। मुझे अभियोजन स्वीकृत दिनांक 23.09.11 में मिली है और उसी दिन मैंने आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन स्वीकृत पत्र पर दाखिल किया था। अभियोजन स्वीकृत पर तारीख 21.09.2011 पडी है। उक्त पत्र दि० 23.09.11 को प्राप्त होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन उसी दिन प्राप्त हुयी थी। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर न गया हूं और थाने पर बैठकर गलत विवेचना की हो।"

21— पी०डब्लू०—3 **राम भरोसे** उम्र लगभग 70 वर्ष पुत्र द्वारिका निवासी सुकईपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर—खीरी न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर सशपथ यह बयान दिया है कि—"आज से करीब पन्द्रह साल पहले मेरे दो राशि भैंसा रात में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिये गये थे जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना फूलबेहड़ में की थी। उन दोनों भैसा को थाना ईसानगर की पुलिस ने मय मुल्जिमान बरामद किया था। मुझे थाना ईसानगर से सूचना प्राप्त हुई थी। ईसानगर पुलिस ने थाने पर मुझे बुलाया गया था, वहाँ पहुँचकर मैंने अपने दो राशि भैसा को पहचाना था और मैंने थाना ईसानगर पर एक प्रार्थनापत्र भी दिया था कि भैंसे मुझे दे दिये जाए। वो प्रार्थनापत्र मैंने थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवाया था। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं० क—7 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही **तहरीर** है जिसे मैंने थाना ईसानगर पर दिया था इसपर बने हस्ताक्षर मेरे है जिस पर **प्रदर्श क—12** डाला गया। पुलिस ने मेरे दोनों भैसा को सुपुर्दगीनामा गवाहों की उपस्थिति में लिखकर मुझे प्रदान किये थे। सुपुर्दगीनामा शामिल पत्रावली है जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही सुपुर्दगीनामा है जिसे दरोगाजी ने लिखकर मेरे हस्ताक्षर बनवाये थे इस पर बने हस्ताक्षर मेरे है जिस पर प्रदर्श क—13 डाला गया। ईसानगर थाने की पुलिस ने मेरा बयान लिया था।"

22— **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है कि—"मैं थोड़ा बहुत पढ़ा—लिखा हूँ। मैं गिनती भी पहचानता हूँ। मेरे भैसे किस तारीख को चोरी हुए था तारीख नहीं याद है महीना सावन का था। मैंने किसी को भैसा चुराते हुए देखा नहीं था। मैंने तहरीर में अपने भैसों का हूलिया लिखाया था। यदि लिखने वाले ने हूलिया न लिखा हो तो मैं उसकी कोई वजह नहीं बता सकता, भैसा चोरी वाली तहरीर मैंने थाना ईसानगर में लिखायी थी। यह कहना गलत है कि यह बात मैं झूठ बोल रहा हूँ। भैसों की बरामदगी मेरे सामने नहीं हुई थी और न ही मैंने किसी मुल्जिम को देखा था। बरामदगी स्थल भी मैंने नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि मेरे कोई भैसें चोरी नहीं हुए थे जिस कारण तहरीर में उनका हूलिया नहीं लिखाया था।भैसे चोरी होने के बाद दरोगाजी मुझे कभी नहीं मिले।"

23— **प्रति परीक्षा में** साक्षी ने कथन किया है किः—"मैंने अपने भैसों को चुराने वाले अभियुक्तगण को नहीं जाना था और न ही पुलिस वालों ने मुझे बताया था। मुझे केवल मेरे चोरी हुए भैसों को थाने में दिखाया गया था जिन्हें मैंने पहचाना था, मुल्जिमान को मुझे दिखाया था जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। मुल्जिमान को मैंने भैसें चोरी करते नहीं देखा था। थाने पर केवल मेरे भैसें थे जिन्हें मुझे दिखाया गया था। मेरे भैसों के माथे के बाल सफेद थे जिससे मैंने उन्हें पहचाना था। मैंने यह शिनाख्त अपने रिपोर्ट में लिखायी थी अगर न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता पाउँगा। दरोगाजी को मैंने माथे के बाल सफेद होने वाली बात बतायी थी अगर मेरे बयान में न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे पुलिस वालों ने ही मेरे भैसे दे दिये थे। यह कहना गलत है कि मेरे कोई भैसें चोरी नहीं हुए थे जिस कारण तहरीर में उनका हूलिया नहीं लिखाया था।" "

24— अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक **16.05.2026** को साक्ष्य समाप्त किये जाने अंकन पत्रावली पर अंकित किया गया।

<u>अभियुक्तगण के कथनः—</u>

25— उपरोक्त चारों सत्र परीक्षणों में संयुक्त साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 18.05.2026 को अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने मुख्य रूप से अभियोजन कथानक गलत बताते हुए पी०डब्लू०—1 के बयान के बाबत कहा है कि गलत बयान है, घर से गिरफ्तार करके थाना पर हस्ताक्षर बनावाया गया। पी०डब्लू०—2 के बयान के बाबत कहा है कि विवेचना गलत की गयी है, गलत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पी०डब्लू०—3 के बयान के बाबत कहा है कि गलत है ,कोई बरामदगी नहीं है। अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन गांव की पार्टीबन्दी के कारण चलना कहा है और अतिरिक्त रूप से कथन किया है कि मैं निर्दोष हूं, कोई अपराध नहीं किया है तथा पुलिस द्वारा घर से गिरफ्तार करके फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है।

<u>सफाई साक्ष्यः—</u>

26— अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया है।

27— अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक परिशीलन किया।

<u>बचाव पक्ष के तर्कः—</u>

28— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि मामले में घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है, जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, वे सभी पुलिसकर्मी हैं। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य की श्रेणी में

नहीं आता है। उपरोक्त मामले पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने हेतु पंजीकृत किये गये हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अभियुक्तगण के खिलाफ लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो रहे हैं। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>अभियोजन के तर्कः–</u>

29– विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से नाजायज तमंचे से फायर किया गया है। अभियुक्तगण के पास से अवैध तमंचे व चाकू की बरामदगी भी हुयी है। अभियोजन साक्ष्यों से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्तगण को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

<u>निष्कर्ष</u>

30– न्यायालय को यह निर्धारित करना है कि क्या अभियुक्तगण पर, जो अभियोजन की ओर से आरोप लगाये गये हैं, उनको अभियोजन की ओर से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

31– अभियोजन का कथन है कि दिनांक–14.08.2011 को उ०नि०दिवाकर तिवारी मय हमराहियान द्वारा समय 15:20 बजे थाना हाजा से रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी में मामूर था। मुखबिर खास की सूचना पर एक पिकप वैन विना नम्बर की रेहुआ तिराहे की तरफ से खमरिया की तरफ आ रही है, उसमें दो राशि भैंसा चोरी के लदे हैं, उसमें बैठे लोगों के पास नाजायज असलहे भी हैं, इस सूचना पर विश्वास करके मैं उ०नि०मय हमराही कर्मचारीगण को मकसद बताकर रेहुआ पुल पर खडे हो गये, कुछ समय बाद रेहुआ तिराहे की तरफ से एक पिकप बैन आती हुयी दिखायी दी, पिक बैन में खिडकी की तरफ बैठे एक व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को जान से मार डालने की नियत से तमंचा से फायर किया। हिकमत अमली से अपने को बचाते हुये सभी कर्मचारीगण अपनी अपनी राइफलें तान ली तथा पुल के ऊपर गाडी पहुंचते गाडी को घेरकर खडी करा लिया गया। पिकप बैन में पीछे दो राशि भैंसा बंधे हैं, वैन में खिडकी के किनारे बैठे हुये व्यक्ति को बैन से नीचे उतारा गया, मौके पर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया।

32– मामले में कोई जन साक्षी नहीं है। मात्र पी०डब्लू० –1 फर्द बरामदगी का साक्षी परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू०–4 रामभरोसे परीक्षित हुये हैं, जिन्होंने यह कहा है कि मैंने अपनी भैंसे थाने से प्राप्त की थी, उन्होंने अपने सामने अभियुक्तों के पास से भैंस की बरामदगी होने का कोई कथन नहीं किया है, अर्थात वह फर्द बरामदगी का साक्षी नहीं है।

33– फर्द में यह अंकित नहीं है कि गोली पुलिस पर किसने चलायी। साक्ष्यों में भी गोली चलाने वाले का विशिष्ट नाम नहीं बताया है, जबकि आरोप पुलिस पार्टी पर फायर किये जाने का है। सभी अभियुक्तों द्वारा फायर किया जाना नहीं कहा गया है। किसी भी पुलिसकर्मी के चोटहिल होने का भी कथन नहीं किया गया है। आग्नेयास्त्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उसको मौके पर सील मोहर किया जाना कहा गया है, अतः मामला संदेहास्पद हो जाता है कि अभियुक्तगण ने उक्त कट्टे एव कारतूस जो कि बरामद किया जाना कहा गया है, न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। कट्टा कारतूस एक सम्पोषक साक्ष्य था, सम्पोषक साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। अतः यह उपधारणा की जायेगी कि अभियोजन ने जानबूझकर उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया है, जो कि विपरीत निष्कर्ष देता है। पत्रावली में नक्शा नजरी में A व B स्थान दर्शित किया गया है, A स्थान पर अभियुक्तों को रोकना कहा है, B स्थान पर पकडा जाना कहा गया है। शेष सत्र परीक्षण में नक्शा नजरी की कार्बन प्रति संलग्न है, परन्तु उसमें A व B स्थान दर्शित नहीं किया गया है, अर्थात नक्शा नजरी साबित नहीं है एवं संदेहास्पद है।

34– इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य की विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–307/34, 411, 379 भा०द०सं०, अभियुक्त **मनी उर्फ मनीराम** के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त **उमेश लोध** के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त **अच्छेलाल** के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा–4/25 आयुध अधिनियम के आरोप को युक्ति–युक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में <u>असफल</u> रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

35– सत्र परीक्षण संख्या–297/2012, राज्य प्रति मनी उर्फ मनीराम आदि, मु०अ०सं०–1010/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी के मामले में अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, उमेश लोध, अच्छे लाल एवं फारूख** को अन्तर्गत धारा–307/34, 411, 379 भा०दं०सं० के आरोपों से <u>दोषमुक्त</u> किया जाता है।

36– इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–298/2012, राज्य प्रति मनी उर्फ मनीराम, मु०अ०सं०–1011/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के मामले में भी अभियुक्त **मनी उर्फ मनीराम** को आयुध अधिनियम की धारा–3/25 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

37– इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या –299/2012, राज्य प्रति उमेश लोध, मु०अ०सं०–1012/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के मामले में भी अभियुक्त **उमेश लोध** को आयुध अधिनियम की धारा–3/25 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

38– इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या –300/2012, राज्य प्रति अच्छेलाल मु०अ०सं० –1013/2011, थाना–ईसानगर, जिला–लखीमपुर खीरी, के मामले में भी अभियुक्त **मनी उर्फ मनीराम** को आयुध अधिनियम की धारा–4/25 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

39– अभियुक्त **उमेश लोध** जिला कारागार में निरूद्ध हैं, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके–उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त का रिहाई परवाना जारी किया जायें। यदि अभियुक्त मु०अ०सं०–1010/2011 एवं मु०अ०सं०–1012/2011, थाना–ईसानगर, जिला खीरी के अतिरिक्त किसी अन्य वाद में वांछित न हों, तो उसे तत्काल जिला कारागार से रिहा किया जावे। अभियुक्त उमेश लोध को निर्देशित किया जाता है कि जेल से रिहा होने के पश्चात वह उपरोक्त सत्र परीक्षणों में दोषमुक्ति की बाबत धारा –437 ए दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत मु० 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करें कि यदि उक्त सत्र परीक्षणों में पारित दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है, तो वह वहाॅ उपस्थित होगा। यह बंधपत्र 6–माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

40– अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, अच्छे लाल एवं फारूख** जमानत पर हैं। उनके–उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके–उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण **मन्नी उर्फ मनीराम, अच्छे लाल एवं फारूख** को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त सत्र परीक्षणों में दोषमुक्ति की बाबत धारा–437 ए दं०प्र०सं० के प्राविधानों के अन्तर्गत मु० 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की दो प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करें कि यदि उक्त सत्र परीक्षणों में पारित दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है, तो वह वहाॅ उपस्थित होगा। यह बंधपत्र 6–माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

41– बरामद माल मुकदमा (तमंचा व कारतूस) अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। यदि इस निर्णय के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जाती, तो अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात, माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित हो।

42– इस निर्णय की एक–एक प्रति क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या–298/2012, सत्र परीक्षण संख्या–299/2012 तथा सत्र परीक्षण संख्या–300/2012 की पत्रावली पर भी रखी जाये।

43– निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को जरिये अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं एक प्रति सचिव जिला विधिक प्राधिकरण को प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही उपरोक्त पत्रावलियां नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)

दिनांक–04.06.2026 **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ,**

लखीमपुर खीरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)

दिनांक–04.06.2026 **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,**

लखीमपुर खीरी।

JO CODE–UP6081

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.04 13:36:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court